53

आयोजनागत

संख्याः /XI/2011- 56(26)2003 TCI

प्रेषक,

विनोद फोनिया ,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास ,
उत्तराखण्ड पौडी ।

ग्राम्य विकास अनुभाग देहरादून दिनांक 30, नवम्बर ,2011

विषयः— प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना में भूमि अधिग्रहण /एन0पी0वी0का भुगतान की योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011.12 के लिये राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 2406/5—लेखा.—146/पी0एम0जी0एस0वाई0/2011.12 दिनॉक 20.10.2011 के संदर्भ में तथा शासनादेश संख्याः 916/ X1/2011 -56(26)2003 TCI दिनॉक 17.6.2011 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना में भूमि अधिग्रहण /एन0पी0वी0का भुगतान योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011.12 में राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने वाले अंश से सर्वेक्षण,परीक्षण ,गुणवत्ता नियंत्रण ,कन्सलटैंन्सी, सुपर विजन व्यय, निजी भूमि क्षतिपूर्ति ,मुआवजा,क्षतिपूरक वृक्षारोपण ,एन0पी0वी0मार्ग के दोनों ओर रिक्त स्थान पर वृक्षारोपण एवं वन भूमि सीमांकन स्तम्भ ,पूर्ण मार्गो का अनुरक्षण ,स्थापना आकष्मिक व्यय आदि मदों के लिये द्वितीय किश्त के रूप में **रू0 2830.00 लाख (रू0 अठ्ठाईस करोड तीस लाख मात्र) की धनराशि** आपके निर्वतन पर निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखते हुए नियमानुसार व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

1— अवमुक्त की जा रही धनराशि, की मदवार /कार्यवार फांट करते हुये तदनुसार नियमानुकूल धनराशि का आहरण नियमानुसार व्यय हेतु प्रश्नगत धनराशि मुख्य अभियंता यू0आर0.आर.0डी0ए0 देहरादून को हस्तान्तरित की जायेगी । मदवार/कार्यवार अनुमोदित धनराशि प्रश्नगत मद /कार्य पर ही व्यय की जाय।

2— उक्त धनराशि का आहरण स्वीकृत परिव्यय की सीमा तक ही किया जायेगा । धनराशि के दोहरे आहरण एवं भुगतान के लिये संबंधित आहरण वितरण अधिकारी एवं मुख्य अभियंता यू0आर0आर0डी0ए0 देहरादून पूण उत्तरदायी होंगे ।

3. स्वीकृत धनराशि का आवश्यकतानुसार ही आहरण किया जाय।

4. अवमुक्त की जा रही धनराशि से सर्व प्रथम क्षतिपूरक वृक्षारोपण एन0पी0वी0 का भुगतान ,मार्ग के दोनों ओर वृक्षारोपण ,निजी भूमि प्रतिकर इत्यादि की देय धनराशि का भुगतान सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर किया जाय।

5. धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जब पूर्व में आवंटित धनराशि का उपभोग कर लिया गया हो ।

6. प्रतिपूर्ति दावों का निस्तारण नियमानुसार करते हुये जिन कार्यो के लिये धनराशि अवमुक्त की जा रही है, उन्ही कार्यो/प्रयोजनो पर ही नियमानुसार व्यय की जायेगी।किसी कभी दशा में धनराशि का व्ययवर्तन नही किया जायेगा तथा मदवार/कार्यवार लक्ष्य ,वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण उपलब्ध कराया जाय।

7– योजना का नियमित अनुरक्षण /समीक्षा उनके आउटपुट एवं आउटकम लक्ष्यों की पूर्ति हेतु हेतु किया जायेगा । यदि वांछित आउटकम /आउटपुट की उपलब्धि नही होती पायी जाती हैं तो इस सम्वन्ध में पुनर्विचार किया जाय।

8. व्यय करने से पूर्व बजट मैन्युवल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति/प्रोक्योरमेन्ट रूल्स,2008 तथा अन्य तद्विषयक नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

9. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के अंश के रूप में अवमुक्त की जा रही धनराशि को इन्हीं जातियों के कल्याणार्थ कराये जा रहे विकास कार्यों पर ही व्यय किंया जाय।

10. धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैन्युवल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पहले स्वीकृति/सहमति सक्षम स्तर से प्राप्त कर ली जाय।

11. व्यय करने से पूर्व प्रकरणो का भली भॉति परीक्षण/निरीक्षण करते हुए सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय। अनुमोदित व्यय कदापि न किया जाय।

12. प्रश्नगत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जाय जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है। इस प्रकार एक मद की धनराशि दूसरी मद में कदापि व्यय न की जाय तथा योजना के किसी मद/कार्य की पूर्ति किसी अन्य योजना की धनराशि के अंश से कदापि न किया जाय।

13. अवमुक्त धनराशि का उपभोग दिनॉक 31–3–2012 तक अनिवार्य रूप से कर लिया जाय तथा अप्रयुक्त अवशेष धनराशि को समयान्तर्गत समर्पित किया जाना सूनिश्चित किया जाय।

14. प्रश्नगत धनराशि व्यय करने से पूर्व बजट मैनुअल, वित्ती हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों/आदेशों का तथा योजना के सम्बन्ध में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी/जारी होने वाले दिशा–निर्देशों का मितव्ययता सम्बन्धी दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

15. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा पूर्व में आवंटित धनराशि का उपभोग प्रमाण–पत्र भारत सरकार एवं राज्य सरकार को उपलब्ध करायी जाय।

16. स्वीकृतियों का रजिस्टर रखा जाय और प्रत्येक माह में स्वीकृति/व्यय संबंधी सूचना अद्यतन करते हुए सूचना, स्वीकृतियों की प्रति सहित निर्धारित प्रपत्र

बी0एम0–13 पर प्रत्येक माह की 05 तारीख तक शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय ।

17.प्रत्येक कार्य पर धनराशि का आवंटन/व्यय उक्त कार्यों की अनुमोदित लागत सीमा तक ही किया जायंगा तथा साथ ही व्यय में निर्धारित दिशा–निर्देशों का पालन भी सुनिश्चित किया जाय।

18.उपरोक्त प्रस्तर–1 से 17 तक के दिशा निर्देशों में विचलन होने की स्थिति में इसकी सूचना तत्काल वित्त विभाग को उपलब्ध करा दी जाय।

2– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 11–.12 के आय–व्ययक में **अनुदान सख्या –19 के लेखाशीर्षक 4515–अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय–102 –सामुदायिक विकास –आयोजनागत –03–प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना में भूमि अधिग्रहण /एन0पी0बी0का भुगतान–24 बृहत निर्माण कार्य से रू0 2179.10 लाख ,अनुदान सख्या –30 के लेखाशीर्षक 4515–अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय–102–सामुदायिक विकास –आयोजनागत –02 अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेंट प्लान 0201–प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना में भूमि अधिग्रहण /एन0पी0बी0 का भुगतान–24 बृहत निर्माण कार्य से रू0 537.70 लाख तथा अनुदान सख्या –31 के लेखाशीर्षक 4515–अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय–796 जनजाति क्षेत्र उपयोजना–आयोजनागत –01–प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना में भूमि अधिग्रहण /एन0पी0बी0 का भुगतान –24 बृहत निर्माण कार्य से रू0 113.20 लाख . वहन किया जायेगा तथा उपरोक्त सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा ।**

3– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 225 (P)XXVII –4–11 दिनॉक 28.11.2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

/

(विनोद फोनिया)

सचिव

संख्याः 1628 /XI/2011- 56(26)2003 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) कार्यालय महालेखाकार, वैभव पैलेस, सी–1,/105, इन्दिरा नगर, देहरादून।

2–महालेखाकार, (ए एण्ड ई), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर, रोड़, माजरा, देहरादून।

3–आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।

4–समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

5–वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।

6–निदेशक, कोषागार एवं वित्त लेखा, उत्तराखण्ड 23 लक्ष्मी रोड़ देहरादून।

7–निदेशक राष्टीय सूचना केंद्र उत्तराखण्ड देहरादून।

8–समस्त मुख्य विकास अधिकारी जिला विकास अधिकारी उत्तराखण्ड।

9–वित्त अनुभाग– 4 उत्तराखण्ड शासन।
10–नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन।
11–मुख्य अभियंता उत्तराखण्ड ग्रामीण सडक अभिकरण सहत्रधारा रोड देहरादून ।
12.एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
13–गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(सतीश बडोनी)
अपर सचिव ।